# मेरठ विकास प्राधिकरण

की

61वीं बोर्ड बैठक

दिनॉक 14–5–2000

का

# कार्यवृत्त

# मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की बैठक दिनाँक 14-5-2000 का कार्यवृत्त

मेरठ विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनाँक 14-5-2000 को आयुक्त सभागार, मेरठ में आयुक्त, मेरठ मण्डल की अध्यक्षता में प्रातः 10-30 बजे प्रारम्भ हुई। सर्वप्रथम उपाध्यक्ष द्वारा प्राधिकरण बोर्ड के अध्यक्ष महोदय तथा माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया। बैठक में निम्न अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1- | श्री एन० ए० विश्वनाथन | आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ। | अध्यक्ष |
| 2- | श्री जितेन्द्र बिष्णु | उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, मेरठ। | उपाध्यक्ष |
| 3- | श्री अवनीश कुमार अवस्थी | जिलाधिकारी, मेरठ। | सदस्य |
| 4- | श्री अनिल शर्मा | मुख्य नगर अधिकारी नगर निगम, मेरठ। | सदस्य |
| 5- | श्री अमित अग्रवाल | विधायक, मेरठ कैन्ट। | सदस्य |
| 6- | श्री महेश सिंहल | | सदस्य |
| 7- | श्री हाजी निजामुददीन | सभासद, नगर निगम, मेरठ। | सदस्य |
| 8- | श्रीमती राखी त्यागी | सभासद, नगर निगम, मेरठ। | सदस्य |
| 9- | श्री वी० के० गुप्ता | सहयुक्त नियोजक (प्रतिनिधि- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, लखनऊ।) | सदस्य |
| 10- | श्री ऊषाकान्त गुप्ता | संयुक्त निदेशक, कोषागार (प्रतिनिधि -सचिव, वित्त विभाग, उ० प्र० शासन, लखनऊ।) | सदस्य |
| 11- | श्री जयभगवान वत्स | अधीक्षण अभियन्ता, जलनिगम, मेरठ। (प्रतिनिधि प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० जलनिगम, लखनऊ। | सदस्य |
| 12- | श्री एस० के० जमा | चीफ कोआर्डीनेटर प्लानर (प्रतिनिधि-आयुक्त, एन० सी० आर०) | सदस्य |
| 13- | श्री बिशन सिंह | संयुक्त निदेशक, उद्योग, मेरठ। | सदस्य |

मद संख्या - 1

**मेरठ विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनाँक 21-10-99 के कार्यवृत्त की पुष्टि।**

मेरठ विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनाँक 21-10-99 के कार्यवृत्त की पुष्टि हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इस सन्दर्भ में उपाध्यक्ष ने बोर्ड के समक्ष यह तथ्य भी रखा कि बोर्ड के माननीय सदस्य श्री अमित अग्रवाल, विधायक - मेरठ कैन्ट द्वारा कार्यवृत्त के कुछ मदों में संशोधन भेजे गये है, जिन पर विचार विमर्श करना उचित होगा। तदनुसार माननीय विधायक द्वारा इंगित मदों में विचार हुआ। तत्पशचात कार्यवृत के निम्न मदों में किये गये सुझावों का समावेश करते हुए संशोधित कार्यवृत्त अनुमोदित किया गया।

मद संख्या - 12

**शताब्दी नगर आवासीय योजना में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग हेतु दुर्बल आय वर्ग के भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में।**

प्रस्तुत प्रस्ताव को इस शर्त के साथ स्वीकृत किया गया कि यदि शासन से अनुमोदन की आवश्यकता हो तो उसे प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही की जाये।

मद संख्या - 14

**मेरठ महायोजना - 2001 के पुनरीक्षण किये जाने के सम्बन्ध में।**

इस प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी, यह भी निर्देश दिये गये कि मेरठ महायोजना में ड्रेनेज सहित विभिन्न अवस्थापना योजनाओं को भी सम्मिलित किया जाये और इसे साथ-साथ जोनल प्लान भी बनाया जाये।

मद संख्या - 15

प्राधिकरण की गंगानगर आवासीय योजना में ग्राम कसेरु बक्सर की अर्जित भूमि के गाटा सं०-445 क्षेत्रफल 0-4-2 बीघा को अर्जन से मुक्त करने के सम्बन्ध में।

इस प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त यह भी निर्णय लिया गया कि प्रशनगत भूमि को अर्जन से मुक्त किया जाना प्राधिकरण हित में नहीं होगा किन्तु यदि आवेदक चाहें तो पूर्व में अन्य मामलों में लिये गये निर्णय के अनुसार प्रार्थी या आवेदक मुआवजे के बजाय भूमि चाहते हो तो रोड एरिया काटकर तथा विकास व्यय लेकर भूमि के बदले में प्लाट दे दिया जाये। उपाध्यक्ष आवेदक से विचार विमर्श करके इस प्रकरण का निस्तारण करेंगे।

अनुपूरक मद संख्या - 7

विकास प्राधिकरण के विज्ञप्ति क्षेत्र में जल निकासी हेतु विस्तृत योजना बनाने के लिये नगर निगम तथा मेरठ विकास [illegible] को निजी सर्वेयर की सेवायें लेकर सर्वेक्षण कराकर कार्य योजना बनाये जाने विषयक।

विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव पर अनुमोदन किया गया।

मद संख्या - 9

इन्डियन आयल कार्पोरेशन लि० द्वारा मेरठ में ग्राम शोभापुर में खसरा सं०-108/2/2 पर पेट्रोल, डीजल तथा पेट्रोलियम प्रोडक्ट हेतु रिटेल आउटलेट के निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया और यह विशेष निर्देश दिये गये कि महायोजना मार्ग की प्रस्तावित चौडाई (सडक के मध्य से १२५ फीट) पर निर्माण की कोई अनुमति किसी भी दशा में नहीं दी जायेगी।

(पूर्व में पारित कार्यवृत्त में जो ऊपरलिखित संशोधन अनुमोदित किये गये उन्हें बडे अक्षरों तथा रेखांकित करके प्रस्तुत किया गया है।)

उपरोक्त संशोधनों के साथ बोर्ड बैठक दिनाँक 21-10-99 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी ।

मद संख्या - 2

मेरठ विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनाँक 21-10-99 में पारित विभिन्न प्रस्तावों की अनुपालन आख्या ।

अनुपालन आख्या अवलोकित करने से पूर्व अध्यक्ष महोदय द्वारा यह निर्देश दिये गये कि प्राधिकरण बोर्ड की बर्ष की पहली बैठक में बजट अवश्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए । आश्वासन दिया गया कि अध्यक्ष महोदय के निर्देशों का भविष्य में पालन किया जायेगा ।

अनुपालन विशेष अतिरिक्त मद (भाग बोर्ड बैठक दिनाँक 30-3-98)

ईब्ज चौराहे का सौन्दर्यीकरण

अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया । बोर्ड द्वारा इस तथ्य पर असन्तोष व्यक्त किया गया कि छः माह से अधिक समय व्यतीत होने के उपरान्त अभी तक विद्युत विभाग से अपेक्षित कार्यवाही नहीं करायी जा सकी है । यह निर्देश दिये गये कि विद्युत विभाग से अनुसरण करने के लिये किसी अधिकारी की डयूटी लगा दी जाये जो अनुसरण करके यथाशीघ्र कार्य पूरा करायें ।

हापुड अडडे के चौराहे का सौन्दर्यीकरण

संचालक मण्डल द्वारा इस स्थिति पर असन्तोष व्यक्त किया गया कि विद्युत विभाग द्वारा पिछले छः महीने में ट्रांसफारमर स्थानान्तरित नहीं किया जा सका है । निर्देश दिये गये कि इस कार्य का अनुसरण करने के लिये किसी अधिकारी की डयूटी लगाई जाये और विद्युत विभाग से इस कार्य को यथाशीघ्र पूर्ण कराया जाये ।

बच्चा पार्क का सौन्दर्यीकरण

अध्यक्ष महोदय ने सुझाव रखा कि जिलाधिकारी, मेरठ इस मामले में अपने माध्यम से समझौता करके कोई रास्ता निकलवाने का प्रयास कर लें। जिलाधिकारी, मेरठ ने आश्वासन दिया कि उनके पास पत्रावली आती है तो वह तत्काल इस मामले में कार्यवाही करेंगे। अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिये कि प्राधिकरण/नगर निगम तत्काल जिलाधिकारी, मेरठ का सहयोग प्राप्त कर इस मामले का निस्तारण करायें।

थापर नगर नाले को पाटकर सडक बनाये जाने के सम्बन्ध में।

संचालक मण्डल द्वारा इस प्रकरण पर की जा रही धीमी कार्यवाही पर गहरा असन्तोष व्यक्त किया गया और इस कार्य को यथाशीघ्र किसी निष्कर्ष पर लाने हेतु निर्देश दिये गये। अध्यक्ष महोदय ने अधीक्षण अभियन्ता, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ को यह निर्देश दिये कि वह इसका अनुसरण अपने स्तर से करें। जिलाधिकारी , मेरठ द्वारा यह सुझाव दिया गया कि यदि यह कार्य राज्य सेतु निगम से कराने हेतु उन्हें सौंप दिया जाये तो उनके स्तर से शीघ्रता से कार्यवाही किये जाने की सम्भावना है। इसके अतिरिक्त आवास विकास परिषद, उ०प्र० ने भी इस सन्दर्भ में परामर्श लिया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिये कि अधीक्षण अभियन्ता, मेरठ विकास प्राधिकरण तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें और इसका अनुसरण अपने स्तर से करें।

अनुपालन मद संख्या - 6 (बोर्ड बैठक दिनाँक 20-4-99)

श्रीमती प्रेमलता शर्मा पत्नी श्री एच०एस०शर्मा निवासी 6/एच-91 श्रद्धापुरी, कंकरखेडा, मेरठ को प्राधिकरण की श्रद्धापुरी आवासीय योजना, फेज-प्रथम के अन्तर्गत आबंटित मध्यम आय वर्ग भवन सं०- 3/124 का मूल्य निर्धारण।

अवलोकन किया गया।

अनुपालन मद संख्या - 11 (बोर्ड बैठक दिनाँक 21-10-99)

शताब्दी नगर आवासीय योजना में सतर्कता विभाग की जाँच आदि से प्रभावित सम्पत्तियों की "जहाँ है - जैसे है" के सिद्धान्त पर विक्रय नीति निर्धारण के सम्बन्ध में।

अवलोकन किया गया।

अनुपालन मद संख्या - 14

मेरठ महायोजना-2001 के पुनरीक्षण किये जाने के सम्बन्ध में।

अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया परन्तु प्रगति की धीमी गति परअसन्तोष व्यक्त किया गया। मुख्यनगर एवं ग्राम नियोजक, लखनऊ के प्रतिनिधि श्री वी०के०गुप्ता, सहयुक्त नियोजक ने बताया कि इस कार्य में प्राधिकरण की ओर से तो धन का भुगतान मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, लखनऊ को कर दिया जाता है परन्तु शासन से बजट समय से प्राप्त नहीं होने के कारण कार्य को तेजी से करने में परेशानी आती है। उन्होंने यह भी बताया कि मुख्य परेशानी कर्मचारियों की उपलब्धता की होती है जिनके द्वारा सर्वेक्षण का कार्य सम्पन्न किया जाना है।

वार्ता के बाद यह निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण अपने कर्मचारियों में से 20 कर्मचारियों को सहयुक्त नियोजक को उपलब्ध करायेंगे एवं सहयुक्त नियोजक उनसे सर्वे का कार्य शीघ्रता से पूरा करायेंगे। यह भी निशिचत किया गया कि सर्वे का कार्य दिनाँक 31-12-2000 तक प्रत्येक दशा में पूरा कर लिया जाये। जिलाधिकारी द्वारा यह सुझाव दिया गया कि इस कार्य को सम्पन्न कराने हेतु समय सारणी बनायी जानी चाहिए जिससे कार्य की मानीटरिंग विभिन्न स्तरों पर की जा सके।

सहयुक्त नियोजक ने आश्वासन दिया कि इस कार्य को पूर्ण करने हेतु समय-सारणी बनाकर वह उपाध्यक्ष को प्रस्तुत कर देंगे, जो अगली बोर्ड बैठक में प्रस्तुत करेंगें।

उपाध्यक्ष ने यह भी आश्वासन दिया कि इस कार्य हेतु प्राधिकरण स्तर पर जो भी सहायता, धन अथवा कर्मचारियों की आवश्यकता होगी वह सहयुक्त नियोजक को तत्काल उपलब्ध करा दी जायेगी ।

अनुपालन मद संख्या - 15

प्राधिकरण की गंगानगर आवासीय योजना में ग्राम कसेरू बक्सर की अर्जित भूमि के गाटा सं०-445, क्षेत्रफल 0-4-2 बीघा को अर्जन से मुक्त करने के सम्बन्ध में ।

आख्या का अवलोकन किया गया ।

अनुपालन मद संख्या - 17

श्री मलखान सिंह, दैनिक वेतन/वर्कचार्ज के विनियमितीकरण किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

आख्या का अवलोकन किया गया ।

अनुपालन मद संख्या - 24

श्री नन्दकिशोर त्यागी, एडवोकेट को पाण्डव नगर आवासीय योजना में आबंटित उच्च आय वर्ग भूखण्ड सं०- एफ-127 पर लगे ब्याज को माफ करने के सम्बन्ध में ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा इस बात पर असन्तोष व्यक्त किया गया कि सम्बन्धित आबंटी को अनावश्यक रुप से परेशान करने में जिम्मेदारी निर्धारित करने के प्रकरण में कोई कार्यवाही नही हुई है । अतः अध्यक्ष महोदय ने यह भी निर्देश दिये कि अधिकारी स्तर तक इस मामले की जिम्मेदारी निर्धारित करके कार्यवाही की जाये ।

मद संख्या - 25

भारतीय विकलांग मित्र नामक संस्था को पल्लवपुरम योजना के निकट पाकेट "पी" में आबंटित शैक्षिक भूखण्ड की दर को कम किये जाने के सम्बन्ध में।

आख्या का अवलोकन किया गया।

अनुपालन अनुपूरक मद संख्या - 1

गंगानगर आवासीय योजना के अन्तर्ग माननीय सदस्य विधान परिषद श्रीमती राजेश तोमर को उच्च आय वर्ग का भवन रियायती दर पर आबंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

आख्या का अवलोकन किया गया।

अनुपूरक मद संख्या - 7

विकास प्राधिकरण क्षेत्र में जल निकासी हेतु विस्तृत योजना बनाने के लिये नगर निगम तथा मेरठ विकास प्राधिकरण को निजी सर्वेयर की सेवाये लेकर सर्वेक्षण कार्य योजना बनाये जाने बिषयक।

आख्या का अवलोकन किया गया।

अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिये कि इस प्रकार के मामलों में अधीक्षण अभियन्ता स्तर पर सघन अनुसरण किया जाना चाहिए जिससे कार्य में कोई प्रगति हो सके, केवल पत्र अथवा अनुस्मारक भेजकर कर्तव्य की इतिश्री नहीं मानी चाहिए। अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिये कि "नीरी" से इस मामले को अधीक्षण अभियन्ता अपने स्तर पर सघनता से अनुसरण करेंगे।

अनुपूरक मद संख्या - 8

आरा मशीन, घरेलू गैस गोदाम, सरकारी कार्यालय को बाहरी क्षेत्र में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

आख्या का अवलोकन किया गया।

जिलाधिकारी, मेरठ ने बताया कि वन विभाग द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से काफी आरा मशीनों को सघन शहरी क्षेत्र से हटा दिया गया है। उन्होंने यह भी अपेक्षा की कि प्राधिकरण गैस गोदामों और आरा मशीनों को हटाने के लिये प्लान बना ले और अधिकतम छः माह का समय दे दिया जाये।

इसी सन्दर्भ में मा० सदस्य श्री अमित अग्रवाल, विधायक ने यह सुझाव दिया कि शहरी क्षेत्र से दूध डेरी को भी बाहर हटाया जाना चाहिए जिससे शहर की सफाई में सुधार हो सके तथा नगर निगम के नालों की सफाई में गुणात्मक सुधार हो सके।

बैठक में उपस्थिति जिलाधिकारी, मेरठ, उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण तथा मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, मेरठ ने आश्वासन दिया कि इस कार्य में तीनों मिलकर प्रभावी कार्यवाही सुनिशिचत करेंगे।

**अनुपालन अनुपूरक मद संख्या - 9**

**इन्डियन आयल कार्पोरेशन लि० द्वारा मेरठ में ग्राम शोभापुर में खसरा सं०- 108/2/2 पर पेट्रोल, डीजल तथा पेट्रोलियम प्रोडक्ट हेतु रिटेल आऊट लेट के निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

कार्यवृत्त में संशोधन स्वीकार किया गया और तदनुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये गये।

**अनुपालन अनुपूरक मद संख्या - 17**

**पल्लवपुरम आवासीय योजना हेतु ग्राम मुकर्रबपुर पल्हेडा स्थित गाटा संख्या-320 क्षेत्रफल 2-9-0 में से मात्र 0-15-0 बीघा क्षेत्रफल को अर्जन से मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।**

आख्या का अवलोकन किया गया। इस मामले में बिलम्ब से कार्यवाही पर अध्यक्ष महोदय द्वारा गहरा असन्तोष व्यक्त किया गया और यह निर्देश दिये गये कि विभागीय स्तर परजिम्मेदार लोगों के विरुद्ध तीन महीने में विभागीय कार्यवाही पूर्ण करके बोर्ड को सूचित किया जाये। जिलाधिकारी, मेरठ ने यह कहा कि इस मामले में नये सिरे से भी एफ०आई०आर० दर्ज की जा सकती है और यदि इस बिषय में पुलिस विभाग के स्तर पर कोई अडचन

आती है तो उनके संज्ञान में ले आया जाये और वह इस मामले में तत्काल कार्यवाही सुनिशिचत करा देंगे।

**अनुपूरक मद संख्या - 19**

**अनाधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण की नीति निर्धारण सम्बन्धी प्रस्ताव।**

अवलोकन किया गया।

**मद संख्या - 3**

**शताब्दी नगर आवासीय योजना में मैसर्स अन्सल हाऊसिंग द्वारा निर्माणाधीन तीन मंजिले 372 ग्रुप हाऊसिंग भवनों के सम्बन्ध में, मेरठ विकास प्राधिकरण तथा मै० अन्सल हाऊसिंग के बीच समझौता करने बिषयक उपसमिति की संस्तुति आख्या पर विचार।**

विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया परन्तु यह निर्देशित किया गया कि मैसर्स अन्सल हाऊसिंग द्वारा जो प्रस्तावित क्लब सामुदायिक सुविधा वाले स्थान पर लगभग 1.00 करोड की लागत से बनाया जायेगा, में क्लब के अध्यक्ष आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ रहेंगे तथा मेरठ विकास प्राधिकरण के आबंटियों से सामान्य फीस की आधी फीस लेकर सदस्य बनाया जायेगा। क्लब के संचालक मण्डल में जिलाधिकारी, मेरठ, उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, मेरठ तथा वरिष्ट पुलिस अधीक्षक, मेरठ पदेन सदस्य होंगे तथा चार अन्य सदस्यों को संचालक मण्डल में सदस्य नामित करने का अधिकार आयुक्त, मेरठ मण्उल, मेरठ में निहित रहेगा।

यह भी निर्देश दिये गये कि इस समझौते की जानकारी शासन को भी प्रेषित कर दी जाये।

मद संख्या - 4

मेरठ विकास प्राधिकरण में आर्कीटैक्ट/इंजीनियर/ड्राफटसमैन को लाईसैन्स फीस नवीनीकरण हेतु फीस के संशोधन के सम्बन्ध में।

विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि फीस को एक साथ इतना न बढाया जाये और प्रस्तावित बढी हुई धनराशि की आधी फीस ही निर्धारित की जाये। यह भी निर्णय लिया गया कि दो बर्ष के उपरान्त तत्समय इस फीस को पुनरीक्षित करने पर विचार कर लिया जाये।

तदनुसार वर्तमान पुनरीक्षित दर निम्नानुसार रहेगी :-

| क्र० सं० | श्रेणी | बार्षिक लाईसेन्स फीस | नवीनीकरण |
|---|---|---|---|
| १- | लाईसेन्स इंजीनियर/टाऊन प्लानर | रु० 1,000/- | रु० 500/- |
| २- | लाईसेन्स ड्राफटसमैन | रु० 500/- | रु० २५०/- |
| ३- | लाईसेन्स गुप/एजेन्सी | रु० 1,500/- | रु० ७५०/- |

मद संख्या - 5

शताब्दी नगर आवासीय योजना में आबंटियों को बसाने की दृष्टि से लेवी लिये जाने की अनुमति हेतु प्रस्ताव।

विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि शताब्दी नगर आवासीय योजना में योजना को बसाने की दृष्टि से लेवी ली जाये परन्तु सभी श्रेणी के भूखण्डों पर लेवी की दर दो प्रतिशत निर्धारित की जाये और समय सीमा अवधि सभी श्रेणी के भूखण्डों के लिये पाँच बर्ष निर्धारित की गयी। यह भी शर्त लगाने का निर्णय लिया गया कि लेवी उसी दशा में आरोपित की जायेगी जब उस भूखण्ड तक सडक, नाली, पानी तथा स्ट्रीट लाईट की आधारभूत सुविधायें प्राधिकरण द्वारा उपलबध करा दी गयी हों और समय सीमा का निर्धारण इन सुविधाओं के उपलब्ध कराये जाने की तिथि से ही मान्य होगा।

मद संख्या - 6

मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा आबंटियों सम्पत्तियों में आबंटियों द्वारा देय किश्तें उसी माह के अन्तिम कार्य दिवस तक अदा कर दिये जाने पर उस माह के दण्ड ब्याज से मुक्त रखना।

विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या - 7

शताब्दी नगर योजना के सैक्टर-5 भूखण्ड सं०-ए-37 का दण्ड ब्याज माफ किये जाने हेतु प्रस्ताव।

विचार विमर्श के उपरानत यह निर्णय लिया गया कि दण्ड ब्याज को माफ किया जाये परन्तु यह भी निर्देश दिये गये कि पत्रावली के खोने तथा रिएलाटमेन्ट के लये जिम्मेदारी निर्धारित की जाये और विभागीय कार्यवाही करके अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

मद संख्या - 8

प्राधिकरण की अलोकप्रिय सम्पत्तियों का निस्तारण शासनादेश दिनाँक 4 मई, 1988 के प्रकाश में मूल मूल्यांकन पद्धति से किया जाना।

विचारोपरान्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया और समयवृद्धि दिनाँक 31-9-2000 तक प्रदान की गयी।

मद संख्या - 9

श्री उदयवीर सिंह, एडवोकेट को मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ में विधि परामर्शी के पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में।

विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि विधि परामर्शी/विधि अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिये किसी अवकाश प्राप्त न्यायिक सेवा के अधिकारी को रखा जाये और इसके लिये एक उपसमिति बनायी गयी जिसमें जिलाधिकारी, मेरठ, उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण एवं श्री महेश सिंघल

होंगे, के द्वारा किसी अवकाश प्राप्त न्यायिक सेवा के अधिकारी का चयन करके नियुक्ति हेतु नामों की संस्तुति की जायेगी ।

मद संख्या - 10

शताब्दी नगर योजना में अर्द्धनिर्मित भवनों को मूल मूल्यांकन के आधार पर आबंटन हेतु दिनाँक 31-12-2000 तक समयवृद्धि के सम्बन्ध में ।

विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकार करते हुए समयवृद्धि दिनाँक 30-8-2000 तक बढाने की स्वीकृति प्रदान की गयी ।

मद संख्या - 11

मेरठ विकास प्राधिकरण में कार्यरत कर्मचारी के चिकित्सा व्यय में किये गये धनराशि की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में ।

विचारोपरान्त प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया ।

मद संख्या - 12

मोहनपुरी योजना में दूकानों के ऊपर निर्मित हाल को आर्ट गैलरी के लिये दिये जाने के सम्बन्ध में ।

गहन विचारोपरान्त प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया । यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त हाल में सब-रजिस्ट्रार कार्यालय स्थानान्तरित किया जाये जिसकी सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी । इसका किराया जिलाधिकारी, मेरठ निर्धारित करके शासन से स्वीकृत करायेंगे, जो प्राधिकरण को स्वीकार होगा ।

मद संख्या - 13

मेरठ विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि- 1999 को अंगीकार किये जाने के सम्बन्ध में ।

विचारोपरान्त प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया एवं प्रस्तावित उपविधियाँ अंगीकार की गयी ।

मद संख्या - 14

श्रद्धापुरी योजना के अन्तर्गत सेन्ट फ्रांसिस स्कूल को भूमि आबंटन के सम्बन्ध में ।

गहन विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकृति योग्य नहीं पाया गया, अतः प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया ।

मद संख्या - 15

सनातन धर्म सभा, [illegible] खेडा, मेरठ की श्रद्धापुरी आवासीय योजना में ग्राम दांतल की अर्जित भूमि खसरा संख्या - 72 क्षेत्रफल 0-7-15-0 बीघा (980 वर्गमीटर) भूमि को अर्जन से मुक्त करने के सम्बन्ध में ।

विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि इस मामले को बोर्ड द्वारा पूर्व में गठित उपसमिति के सामने रखा जाये ।

उपसमिति विचार कर अपनी आख्या बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेंगे एवं तदनुसार बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जायेगा ।

मद संख्या - 16

मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न योजनाओं में अर्जित भूमि, निर्धारित प्रतिकर एवं उपलब्ध करायी गयी धनराशि का मिलान ।

बोर्ड द्वारा प्रतिकर विवरण एवं भुगतान की धनराशि के मिलान के सन्दर्भ में किये गये प्रयासों पर सन्तोष व्यक्त किया गया । यह भी निर्णय लिया गया कि पूँजीगत मूल्य, अर्जन व्यय तथा अवशेष प्रतिकर के भुगतान के प्राधिकरण द्वारा समयबद्ध कार्यक्रम से करने के प्रयास किये जायें ।

मद संख्या - 17

श्री प्रदीप कुमार राजा, लिपिक दैनिक वेतन/वर्कचार्ज कर्मचारी का स्पोर्टस कोटे के अन्तर्गत नियमितीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव अपरिपक्व पाया गया तथा प्रस्ताव सचिव द्वारा वापस लिया गया।

मद संख्या - 18

शताब्दी नगर आवासीय योजना के सैक्टर-1 पाकेट-ए में स्थित दूकानों का मूल मूल्यांकन के आधार पर आरक्षित मूल्य अनुमोदन हेतु बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव।

विचारोपरान्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया एवं निर्देश दिये गये कि नियमानुसार सभी दूकानों को नीलामी के माध्यम से बेचने का प्रयास किया जाये।

मद संख्या - 19

वैशाली कालोनी के निकट स्वैच्छिक शमन योजना में प्रस्तुत मानचित्रों को स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि सर्वप्रथम 15 दिनों में कालोनी के इस भाग को नियमित करने की कार्यवाही की जाये और उसके उपरान्त प्राप्त 17 प्रार्थना पत्रों को निस्तारित किया जाये।

मद संख्या - 20

वैशाली कालोनी में "बाहय विकास शुल्क" के सम्बन्ध में।

विचारोपरान्त प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि यह व्यवस्था केवल 15-6-2000 तक लागू रहेगी और इसके उपरान्त समय में बढोत्तरी नहीं की जायेगी।

मद संख्या - 21

मेजर ध्यान चन्द्र नगर योजना (स्पोर्टस गुडस) में भूखण्ड सं०- एल०जी०-4 ए-56 के आबंटी श्री विक्रम सिंह बिष्ट को चौकीदार शुल्क माफ किये जाने के सम्बन्ध में।

विचारोपरान्त प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

मद संख्या - 22

मेरठ हापुड मार्ग पर ग्राम अलीपुर जिजवाना के खसरा नं०-593(मि०) तथा 594 की कुल 11470.0 वर्गमीटर भूमि पर अल -अलिया मीट प्रोसेसिंग स्टोरेज प्लान्ट के भवन मानचित्र स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

विचारोपरान्त प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

मद संख्या - 23

अनाधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण की नीति निर्धारण का प्रस्ताव।

विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि जिन अनाधिकृत कालोनियों का सर्वेक्षण कार्य कराया जा चुका है उनमें नियमितीकरण की कार्यवाही 15 दिनों में पूर्ण कराया जाये। इसी प्रकार जो ले आउट प्राधिकरण में पूर्व में प्राप्त हो गये है उनको नियमित करने की कार्यवाही की जाये। इसकी सूचना नगर निगम को भी दी जाये।

बोर्ड के माननीय सदस्यों की जिज्ञासा के सन्दर्भ में यह निर्णय लिया गया कि यह सूचना सभी माननीय सदस्यों को प्रेषित की जाये कि कितने मामलों में अवैध निर्माण को रोकने की कार्यवाही की गयी है, कितने मामलों में ध्वस्तीकरण के आदेश किये गये हैं, कितने मामलों में अवैध निर्माण गिराये गये है। इसकी जोनबार सूचना माननीय सदस्यों को पृथक से उपलब्ध करादी जाये।

बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण द्वारा अपनी कालोनी आदि को नगर निगम को हस्तान्तरित करने की कार्यवाही की जाये। इस हेतु

बोर्ड द्वारा एक उपसमिति का गठन कियागयाजिसमें उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, मेरठ, श्री अमित अग्रवाल, विधायक, श्रीमती राखी त्यागी, सभासद, नगर निगम, मेरठ, मुख्य नगर नियोजक, मेरठ विकास प्राधिकरण एवं अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग सम्मिलित होंगे । यह उपसमिति कालौनियों को नगर निगम को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में समय सीमा निर्धारित कर उसके अनुरुप कार्यवाही सुनिशिचत करायेगी ।

मद संख्या - 24

**पल्लवपुरम एवं गंगानगर आवासीय योजना में दूर संचार विभाग को भूमि आबंटित किये जाने के सम्बन्ध में ।**

प्रस्तुत प्रस्ताव को बोर्ड ने संज्ञान लिया और उपाध्यक्ष के स्तर से किये गये बल्क सेल के प्रयासों पर सन्तोष व्यक्त किया गया तथा यह अपेक्षा की गयी कि भविष्य में इस प्रकार के और प्रयास करना उचित रहेगा ।

मद संख्या - 25

**श्री विद्यासागर दीवान दौलतराम चैरीटेबिल ट्रस्ट द्वारा प्रस्तावित बाईपास मार्ग परग्राम-डुंगरावली एवं कुण्डा की कुल लगभग 10.6215 हैक्टेअर भूमि का "केन्द्रीय मनोरंजन सुविधायें क्षेत्रीय पार्क" भूउपयोग से "शैक्षिक संस्थायें" भूउपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में ।**

विचार विमर्श के दौरान इस बात का उल्लेख किया गया कि प्रशनगत भूमि में ग्राम समाज अथवा सरकार की कोई भूमि निहित है अथवा नहीं इसकी पुष्टि कराने के बाद अगली बैठक में इन तथ्यों सहित पुन: प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये ।

समयभाव के कारण अनुपूरक मदों पर विचार विमर्श नहीं हो सका परन्तु जिलाधिकारी, मेरठ के आग्रह पर अनुपूरक मद सं०-3 पर विचार किया गया ।

अनुपूरक मद संख्या-3

132 के०बी० के विद्युत सब स्टेशन हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रस्ताव ।

विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव में वर्णित विकल्प सं०-3 को अनुमोदन प्रदान किया गया ।

अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिये कि समयाभाव के कारण अवशेष अनुपूरक एजेन्डा बोर्ड की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाये । बैठक अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त समाप्त की गयी ।

ह०/-
सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ ।

ह०/-
उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ ।

ह०/-
अध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ ।